न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुमंत सिंह, उम्र 35 फर्म :– मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमि. केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर । 2. फर्म–मैसर्स–मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड केयर ऑफ7 शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट संख्या ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान आईसक्रिम (अमूल एपिक) डिप कोल्ड स्टोरेज में 40 केरेट्स में प्रत्येक में 96 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त आईसक्रिम (अमूल एपिक) नियमानुसार 24 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम मय लेबल के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 680 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा आईसक्रीम (अमूल एपिक) नियमानुसार 24 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–396 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर रिलप एडी–396 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे रिलप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–396 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईसक्रीम (अमूल एपिक) की चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–396 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 653 / एक्ट / 2016 / 693 दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–396 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 693 दिनांक 21.06.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 25000 रुपये अक्षरे रूपये पच्चीस हजार रुपये की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12/10/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

कमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 2057-2060 दिनांक 12-10-2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
03. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुमंत सिंह, उम्र 35 फर्म :– मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमि. केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।
04. फर्म–मैसर्स–मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर